



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

भू— तल, ब्लॉक-6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141-2708487

E-Mail:- swshecell@hotmail.com

फैक्स नं

F.5(3)(171)/RCSCE/SWSHE/School Safety/ 2018 /837

दिनांक: 20/02/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
जिला—समस्त

**विषयः— स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने
हेतु दिशा—निर्देश।**

विद्यालय सुरक्षा एक जटिल विषय है जिसमें छात्र—छात्राओं को विद्यालयों में शारीरिक दण्ड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा, लैगिंग, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक हिंसा से बचाना लक्षित है। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के Quality Interventions अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने हेतु प्रति विद्यालय रूपये 500/- का प्रावधान किया गया है।

राजकीय विद्यालयों में प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित करने के संबंध में राज्य मुख्यालय से जिलों को प्रति विद्यालय 500/- रूपये की दर से राशि हस्तानान्तरित की जा रही हैं। इस राशि को जिला स्तर से सीधे ही जिले में स्थित राजकीय विद्यालयों को हस्तानान्तरित तरते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें—

- प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) राजकीय विद्यालय की दीवार पर संलग्न प्रारूप — 'क' में 6 फुट (लम्बाई) X 4 फुट (चौड़ाई) का ऑयल पेन्ट से बेस तैयार कर ऑयल पेन्ट से ही लिखा जावेंगा।
- प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) के बेस का रंग हल्का आसमानी एवं अक्षरों का रंग गहरा नीला रहेगा।
- प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) 28 फरवरी 2020 तक स्थापित करें।
- प्रदर्शन बोर्ड (Display Board) स्थापित किये जाने के पश्चात् विद्यालयों से प्रारूप—'ख' में जिला स्तर पर उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्राप्त किये जाकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रारूप—'ग' में एवं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप—'ध' में 15 मार्च 2020 तक परिषद् कार्यालय की SWSHE-CELL को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों, विभागीय दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

www.rajteachers.com

(डा. राश्मि शर्मा)

अति० राज्य परियोजना निदेशक-II

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक—I/II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला—समस्त।
- रक्षित पत्रावली

(रिषभ सिंह)
अधीक्षण अभियंता

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बाल सुरक्षा

आपातकालीन फोन नम्बर

संस्था प्रधान :-	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (महिला) :-	बाल सुरक्षा प्रभारी शिक्षक (पुरुष) :-
स्थानीय पुलिस थाना -	पुलिस कन्ट्रोल रूम :- 100	चाइल्ड हैल्पलाइन :- 1098
स्थानीय चिकित्सालय -	एम्बुलेन्स :- 108	गरिमा हैल्पलाइन :- 8764858500

विद्यार्थी क्या करें	विद्यार्थी क्या न करें
<ol style="list-style-type: none"> विद्यालय में किसी भी संदिग्ध /अनजान व्यक्ति को लगातार देखें तो संस्था प्रधान /प्रभारी शिक्षक को बताएं। बाहर जाते समय माता-पिता /शिक्षक /अभिभावक को जगह एवं जिसके साथ /पास जा रहे हैं, उसके बारे में बता कर जाएं। किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से स्पर्श करने पर • डरें नहीं, जोर से चिल्लायें एवं मदद के लिये पुकारें। जल्दी से उस स्थान से चले जाएं, किसी के पास अकेले न रुकें रहें। इस बात को छिपाकर नहीं रखें। मम्मी- पापा, शिक्षक /जिस पर भी आप भरोसा करते हैं, उसको बताएं। चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 /गरिमा हैल्पलाइन नम्बर 8764858500 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। 	<ol style="list-style-type: none"> अनजान व्यक्ति के साथ अकेले नहीं जाएं और उसके द्वारा दी गई कोई भी वस्तु जैसे टॉफी, चॉकलेट, खिलौना आदि ग्रहण नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति आपके परिवारजन के साथ कोई भी अधिय घटना होने के बारे में आपको बताएं एवं साथ ले जाने की कोशिश करे तो शिक्षकों/ परिवारजनों /अभिभावकों से पूछे बिना उस व्यक्ति के साथ अकेले न जाएं। <p>शिक्षक / अभिभावक क्या करें जब बच्चा कुछ बताने लगे</p> <ol style="list-style-type: none"> बिना कोई प्रतिक्रिया दिये ध्यान से उसकी बात सुनें। बच्चे पर दोषारोपण नहीं करें, उस पर विश्वास करें। बच्चे को बहादुर बताते हुए उसकी प्रशंसा करें। बच्चे को कहें कि उसका कोई दोष नहीं है। बच्चे का साथ दें और उसे पीड़ित /अपराधी होने का अहसास न होने दें। चाइल्ड हैल्पलाइन नम्बर 1098 पर फोन करें एवं पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।

विद्यालय स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र-'ख'

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु विद्यालय को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम विद्यालय	पंचायत	जिला
विद्यालय डाइस कोड	ब्लॉक	
क्र.सं.	विद्यालय को जारी की गई कुल राशि रु.	प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रु.
		शेष उपलब्ध राशि

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्प्ले बोर्ड) बनवा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालय के लेखों में कर लिया गया है।
www.rajteachers.com

हस्ताक्षर

संस्था प्रधान

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र—"ग"

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जारी राशि में से व्यय राशि का विवरण

नाम जिला		राज्य सुख्यालय से प्राप्त कुल राशि जिला स्तर से विद्यालयों को जारी की गई राशि का विवरण रू. का विवरण रू.						विद्यालय द्वारा प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रु.			शेष उपलब्ध राशि	
क्र.सं.	विद्यालयों की संख्या	राशि (रुपये में) संख्या	विद्यालयों की संख्या	राशि (रुपये में)	विद्यालयों की संख्या	राशि (रुपये में)	जिला स्तर पर 8 = (3-5)	विद्यालय स्तर पर 9 = (5-7)	जिला स्तर पर 8 = (3-5)	विद्यालय स्तर पर 9 = (5-7)	कुल (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	

प्रमाणित किया जाता है कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्प्ले बोर्ड) बनवा दिए गए हैं तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इच्छाज विद्यालयों एवं जिले के लेखों में कर लिया गया है।

सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....

www.rajteachers.com

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवम्
जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....

जिला स्तरीय उपयोगिता प्रमाण प्रपत्र—"ध"

स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड हेतु जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को जारी राशि में से व्यय राशि
का विवरण

नाम जिला

क्र.सं.	राज्य मुख्यालय से प्राप्त कुल राशि का विवरण रु.	जिला स्तर से विद्यालयों को जारी की गई राशि का विवरण रु.	जिला स्तर से विद्यालयों को जारी विद्यालय द्वारा प्रदर्शन बोर्ड बनाने पर व्यय कुल राशि रु.	शेष उपलब्ध राशि	
विद्यालयों की संख्या	राशि (रूपये में)	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की राशि (रूपये में)	जिला स्तर पर विद्यालय स्तर पर 9 = (5-7) पर 9 = (3-5) 8 = (3-5) राशि (रूपये में) संख्या	जिला स्तर पर विद्यालय स्तर पर 9 = (5-7) पर 9 = (3-5) 8 = (3-5) कुल (8+9)
1	2	3	4	5	6
				7	8
					9
					10

प्रमाणित किया जाता है कि जिले के सभी राजकीय विद्यालयों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदर्शन बोर्ड (डिस्प्ले बोर्ड) बनवा दिए गए हैं तथा उपरोक्तानुसार व्यय की गई राशि का इन्द्राज विद्यालयों एवं जिले के लेखों में कर लिया गया है।

सहायक लेखाधिकारी / लेखाकार
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवम्
जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान जिला.....